न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–97 / 2023 दायर दिनांकः 13.6.2023

GCMS NO:- 2023/165 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

शांति बाई पुत्री पन्ना जाति बैरवॉ नि0 बामनगांव हाल पत्नी माधोलाल जाति बैरवॉ नि0 सहरावता तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

– प्रार्थीया

बनाम

भूस्वामी जर्ये तहसीलदार महोदय, नैनवॉ तहसील नैनवॉ

–प्रत्यार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 131, 136 एल.आर एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीया की ओर से वकील श्री सीताराम नागर।

निर्णय दिनांक 18.08.2025

:–निर्णय–:

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बामनगांव प0म0 बामनगांव मे खाता संख्या 742 की भूमि खसरा नम्बर 1496, 1497, 1498, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1541, 1542, 1543 कुल किता 22 कुल रकबा 3.0740 हैक्टयर भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम बामनगांव मे खाता संख्या 187 की भूमि खसरा नम्बर 91, 92, 93, 94 कुल किता 4 कुल रकबा 6.0190 हैक्टयर भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम बामनगांव मे खाता संख्या 186 की भूमि खसरा नम्बर 1623 रकबा 2.1681 हैक्टयर भूमि स्थित है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मे सहखातेदारान पन्नालाल आ0 मन्ना बैरवॉ थे जिनकी मृत्यु हो गयी है। पन्नालाल का वैध वारिस शांति बाई है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की गफलत लापरवाही से शांतिबाई के स्थान पर कन्या लिखने मे आ गया। प्रार्थीया अपने ससुराल रहने से जानकारी नही थी, नकल निकलवाने पर जानकारी मिली, प्रार्थीया को बचपन मे कन्या के नाम से भी जाना जाता था। कन्या व शांति बाई प्रार्थीया ही है। ग्राम बामनगांव मे कन्या पुत्री पन्ना जाति बैरवॉ नाम की अन्य कोई महिला नही है।

यह कि कन्या पुत्री पन्ना दर्ज होने से प्रार्थीया को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है एवं केसीसी लेने व अन्य सरकारी कार्यो मे भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मे वर्णित भूमियों मे प्रार्थीया का नाम कन्या पुत्री पन्ना के स्थान पर शांति बाई पुत्री पन्ना दर्ज करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार नैनवॉ द्वारा पत्रांक/4531 दिनांक 25.10.2024 द्वारा खाता संख्या 187 व 742 मे कन्या पुत्री पन्ना का नाम शुद्व करने की अभिशंषा रिपोर्ट पेश की गयी जबकि प्रार्थीया द्वारा खाता संख्या 186, 187 व 742 मे नाम शुद्व करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिससे पुनः तहसीलदार नैनवॉ से रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिस क्रम मे तहसीलदार नैनवां द्वारा पत्रांक :– 5320 दिनांक– 20.12.2024 द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी जिसमे संलग्न पटवारी हल्का बामनगांव द्वारा मौके पर जाकर जांच की तथा बताया कि ग्राम बामनगांव के जमाबन्दी संवत् 2076–2079 मे खाता संख्या 187, 742 व 186 मे पन्नालाल पुत्री मन्ना बैरवॉ की मृत्यु होने के बाद विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय जांच ग्रामवासियों मे प्रार्थी शांति बाई को दो नामों से पुकारते है जिस कारण शांतिबाई की जगह कन्या नाम लिखने मे आ गया। जिसकी पुनः मौके पर जाकर जांच की गयी तो पाया कि शांति का नाम ही कन्या है। दोनों नाम वाली एक ही व्यक्ति है। कन्या का नाम आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों मे शांति दर्ज है। ग्रामवासियों के अनुसार कन्या एवं शांति एक ही औरत है जो कि पन्नालाल की पुत्री है जिसकी शादी माधोलाल बैरवॉ नि0 सहरावता तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा मे की गयी। तहसीलदार नैनवॉ द्वारा राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थीया का नाम कन्या पुत्री पन्ना के स्थान पर कन्या उर्फ शांति पुत्री मन्ना किये जाने की अनुशंषा की है।

M

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मे वर्णित भूमि की जमाबन्दी व अन्य राजस्व अभिलेखों मे प्रार्थीया का नाम संशोधन करवाकर कन्या पुत्री पन्ना के स्थान पर शांति बाई पुत्री पन्ना दर्ज करवाये जाने का निवेदन किया। साथ ही निवेदन किया कि उक्त संबंध मे श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट भी माननीय न्यायालय को प्राप्त हो चुकी है अतः निवेदन है कि तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया का नाम संशोधन करवाने की कृपा करें।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि प्रति मे प्रार्थीया का नाम शांति ही अंकित है तथा सरपंच ग्राम पंचायत बामनगांव द्वारा भी उनके लेटरपेड पर कन्या बाई व शांतिबाई दोनों एक ही होना तथा पन्ना लाल पुत्री माधो लाल बैरवॉ के कन्या बाई के अलावा कोई दुसरी संतान नही होना प्रमाणित किया है। साथ ही तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मे वर्णित भूमियों मे कन्या पुत्री पन्ना के स्थान पर कन्या उर्फ शांति पुत्री पन्ना किये जाने की अनुशंषा की है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर ग्राम बामनगांव प.म. बामनगांव तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 187, 186, 742 में दर्ज प्रार्थीया का नाम "कन्या पुत्री पन्ना" के स्थान पर "कन्या उर्फ शांति पुत्री पन्ना" शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 18.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः– रीडर/2025/545 दिनांकः– 29/8/25

प्रेषितिः–

तहसीलदार
नैनवां।

विषयः– प्रकरण संख्या 97/45/2023 बउनवान शान्तिबाई

बनाम भुवनाश्री मे पारित निर्णय की पालना रिपोर्ट पेश करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के उक्त प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 18/8/25 की प्रति संलग्न कर लेख है कि आप संलग्न निर्णय की पालना कर रिपोर्ट पेश करें।

संलग्नः– उपर्युक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)